बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 406283 पटना, दिनांक 15-01-2019

ग्रा0वि0 7(सा0वा0)विविध-04/2018

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,

निदेशक (सा0वा0) ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी के तहत वृक्षारोपण / पौधारोपण संबंधित दिशा-निर्देश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी के तहत वृक्षारोपण / पौधारोपण के उपरांत ससमय समुचित देखभाल रोपित पौधों के संरक्षण, सम्पोषण एवं संवर्द्धन हेतु अत्यावश्यक है । ससमय समुचित देखभाल में कमी के कारण पौधों की उत्तरजीविता का प्रतिशत कुप्रभावित होता है ।

विदित हो कि नियमानुसार कार्यस्थल / योजनास्थल पर बोर्ड / योजनापट लगाया जाना अनिवार्य शर्त है, परन्तु कई कार्यस्थलों पर इसका आभाव देखा गया है जो उचित नहीं है । रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु पौधारोपण के उपरांत इसके चारों ओर मजबुत एवं मानक साईज के गैबियन लगाये जाने का प्रावधान है परन्तु व्यवहारिक स्तर पर प्राय: यह देखा जा रहा है कि या तो गैबियन लगाये ही नहीं जाते हैं अथवा यदि गैबियन लगाये जाते हैं तो स्थानीय लोग जलावन के लिए उस गैबियन को ले भागते हैं । इस कारण मवेशी द्वारा पौधों को क्षति पहुँचाई जाती है ।

स्थानीय लोगों के बीच पर्यावरण / पौधा आदि की महत्ता के प्रति अनभिज्ञता और उदासीनता भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके बजह से पौधों के संधारण और सुरक्षा में कमी दृष्टिगोचर होती है । इनके प्रति लोगों में सजगता, जागरूकता और जनचेतना के विकास हेतु यत्र-तत्र सार्वजनिक स्थलों पर दीवार लेखन या नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेना श्रेयष्कर साबित हो सकता है ।

वृक्षारोपण के दौरान बीमार, नाजुक एवं अप्रौढ़ पौधों के बजाय मानक उचाईं वाले स्वस्थ और प्रौढ़ पौधों को लगाकर बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि वनपोषकों को ससमय नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने के कारण भी पौधों के संरक्षण पर ध्यान कम दिया जाता है । इस संदर्भ में पूर्व से संसूचित विभागीय पत्रांक 369241 दिनांक 15.05.2018 एवं पत्रांक 372802 दिनांक 02.06.2018 के आलोक में वनपोषकों को पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर ससमय नियमानुसार भुगतान किया जाना अत्यावश्यक है ।

इसके अतिरिक्त रोपित पौधों के संरक्षण, सम्पोषण एवं संवर्द्धन की कड़ी में यह भी आवश्यक है कि ससमय लगाये गये पौधों के आस-पास मिट्टी खोदकर, उसका पटवन कर याथावश्यक खाद एवं कीटनाशक दवाइयॉ डालकर उसे पुष्ट / मजबूत किया जाए तथा मृत एवं क्षतिग्रस्त पौधों के स्थान पर नियमानुसार दुबारा पौधा लगाकर उसे सम्पोषित, संवर्द्धित एवं संरक्षित किये जायें ।

अत: उक्त आलोक में वर्णित बिन्दुओं पर यथावश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।

विश्वासभाजन

11.01.19.

(सी0 पी0 खंडूजा)

निदेशक (सा0वा0)

RK-2019